''जिंदगी चुनो, तम्बाकू नहीं''

कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी, उत्तरकाशी।

पत्रांक: 1294 वैय0सहा0(वि0)/विविध/2019-20 दिनाँक 01 नवंबर, 2019

समस्त कार्यालयाध्यक्ष,
विकास भवन, उत्तरकाशी।

विषय: **विकास भवन परिसर में किसी भी प्रकार का धुम्रपान (बीडी,गुटखा,खैनी) के सेवन करते पाए जाने पर सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम की धारा-4/6 के तहत् कार्यवाही किए जाने विषयक।**

उपर्युक्त विषयक क्षेत्रीय समन्वयक, बालाजी सेवा संस्थान तम्बाकू नियंत्रण, देहरादून द्वारा अधोहस्ताक्षरी से आज दिनाँक 1.11.2019 को अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में भेंटवार्ता कर तम्बाकू के दुष्प्रभावों के बारे में संक्षिप्त चर्चा की गई तथा विकास भवन परिसर को पूर्णतया: तम्बाकू मुक्त परिसर घोषित करने हेतु किसी भी प्रकार के तम्बाकू **(बीडी,गुटखा,खैनी)** उत्पाद का सेवन न किए जाने हेतु सेवनकर्ता व्यक्ति के विरूद्ध सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम की धारा-4/6 के तहत् रू0 200 का जुर्माना अधिरोपित किए जाने हेतु अनुरोध किया गया।

अत: उक्त के संबंध में निर्देशित किया जाता है कि आप अपने-अपने विभाग में अपने स्तर से इस आशय का पत्र जारी करें कि यदि कोई भी व्यक्ति विकास भवन परिसर में उक्त उल्लिखित किसी भी प्रकार का धुम्रपान करते पाया जाता है, तो संबंधित के विरूद्ध सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम की धारा-4/6 के तहत् रू0 200 का जुर्माना अधिरोपित करें। कार्यालायाध्यक्षों द्वारा संबंधित तम्बाकू सेवनकर्ता के विरूद्ध विभागों को उपलब्ध कराई गई अर्थदण्ड पुस्तिका से इस आशय की मासिक आख्या मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तरकाशी को प्रेषित करना सुनिश्चित करें। उक्त का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता के दृष्टिगत् आपका व्यक्तिगत ध्यान अपेक्षित है।

(पी0सी0डंडरियाल),
मुख्य विकास अधिकारी,
उत्तरकाशी।

प्रतिलिपि: जिलाधिकारी महोदय, उत्तरकाशी की सेवा में सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।

मुख्य विकास अधिकारी,
उत्तरकाशी।